

अध्यक्ष,
 मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण X
 आमुक्त गढ़वाल मेंडल बोडी ।
 = = = = =

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की दिनांक 17-12-84
 को हुई बैठक की कार्यवाही का आलेख आपके अवलोकनार्थ लामने की ओर
 प्रस्तुत है। यदि सहमत हो तो कृपया हस्ताक्षर करने की कृपा करें ।

[Signature]

उपाध्यक्ष

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण

देहरादून

देहरादून में एक सप्ताह में तैयार
 कर लिया जाना चाहिये।

[Signature]

सचिव

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण
 देहरादून ।

[Signature]

5-1-85

T.B. (M.D.D.A)

आवश्यक जगहों में काम होना चाहिए
 कर दिया है। कृपया प्रत्येक
 रूप में जो प्रो. मंडल बोडी
 अगली मासिक म. पुस्तक को जांचें।

[Signature]
 1/1/85

मसूरी- देहरादून विकास प्राधिकरण की बैठक दिनांक 17-12-84 को
प्रातः 11 बजे तथा भवन नगर पालिका में हुई प्रथम बैठक की कार्यवाही ।

उपस्थिति
= = = =

- 1- श्री देवीदयाल, आयुक्त गढ़वाल मंडल अध्यक्ष
- 2- श्री अतुल चतुर्वेदी, जिलाधिकारी उपाध्यक्ष
- 3- श्री वी०के०गुप्ता, मुख्य अभियन्ता जल निगम प्रतिनिधि सदस्य
- 4- श्री एच०एस०कलसी, अधीक्षक अभियन्ता, ,,
सा०नि०वि०
- 5- श्री रूेशा जायसवाल, मुख्य प्रोजेक्टर, पूर्वावरण विभाग सदस्य
लखनऊ
- 6- श्री एन०बी०सिंह, जनरल मैनेजर, जिला उद्योग केन्द्र ,,
- 7- श्री एन०आर०बर्मा, नगर नियोजक लखनऊ प्रतिनिधि सदस्य
- 8- श्री डी०आर०रतडी, उपवन संरक्षक सूचित, ,,
~~विशेष आमंत्रित~~
- 9- श्री एच०सी०श्रीवास्तव, सहाय प्राधिकारी, विशेष आमंत्रित
नगर भूमि सीमा रोपण
- 10- श्री विनय सिंह तिरौही, अति०मुख्याधिकारी ,,
जिला परिषद
- 11- श्री शेरसिंह, अधीक्षक अभियन्ता, आवास विकास ,,
- 12- श्री एस०डी०डंगवाल, पर्यटन विभाग ,,
- 13- श्री विनोद शर्मा, परामर्शदाता मसूरी ,,
- 14- श्री डी०एस०बर्मा, सचिव, मसूरी- देहरादून विकास प्राधिकरण ,,

~~जग संरक्षण~~ नव गठित विकास प्राधिकरण के कार्यालय के लिये पदों के सृजन संबंधी प्रस्ताव, कार्यालय के लिये उपयुक्त स्थान, स्टेशनरी व फर्नीचर आदि की व्यवस्था करने के संबंध में विचार ।

नवगठित विकास प्राधिकरण के लिये पदों के सृजन के प्रस्ताव पर विचार-विमर्श किया गया। विकास प्राधिकरण को बताया गया कि स्टाफ के रूप में इस समय नियत प्राधिकारी कार्यालय में कार्यरत स्टाफ, जिनमें एक अवसर अभियन्ता, एक लिपिक व एक चपरासी कार्यरत थे, का स्थानान्तरण विकास प्राधिकरण कार्यालय के लिये उपाध्यक्ष द्वारा किया गया है। इसके अति० उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण की ओर से दो अलग-अलग अधीक्षक सचिव आवास एवं नगर विकास को सर्व श्री तत्ववीर श्रीवास्तव, महापंक अभियन्ता नगर पालिका एवं श्री एन०आर०बर्मा, नगर नियोजक, नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग उ०प्र० को विकास प्राधिकरण में नियुक्त करने हेतु भेजे गये है। उपाध्यक्ष द्वारा भेजे गये अधीक्षक सचिव के प्रस्ताव को सर्व

सम्मति से स्वीकार करते हुये निर्णय लिया गया कि इस संबंध में एक प्रस्ताव बनाकर शासन को भेजा जाये। विकास प्राधिकरण के लिये ^{कालव्यय} अर्थ वृद्धि के वृद्ध सृजन हेतु शासन को प्रस्ताव भेजने के लिये विस्तृत रूप से विचार-विमर्श किया गया तथा निम्न प्रकार निर्णय लिया गया :- ^{जहाँ} ~~जहाँ~~ ^{होना} ~~होना~~ किम

टाऊन प्लानिंग विभाग

| | |
|--|---|
| 1- आर्किटेक्ट प्लानर/ मुख्य नगर नियोजक | 1 |
| 2- नगर नियोजक | 1 |
| 3- महायक नगर नियोजक | 1 |
| 4- लैन्ड स्केम आर्किटेक्ट | 1 |
| 5- ड्राफ्ट्समैन | 4 |
| 6- सर्वेयर | 4 |
| 7- बल्बु प्रिंटर | 1 |
| 8- लिपिक → | 1 |
| 9- स्टैनो टाईपिस्ट | 1 |
| 10- अर्दली/चपरासी | 4 |

अभियन्त्रण विभाग

| | |
|---------------------|---|
| 1- अधिशासी अभियन्ता | 1 |
| 2- महायक अभियन्ता | 3 |
| 3- अवर अभियन्ता | 6 |
| 4- संगणन & कंप्यूटर | 1 |
| 5- लिपिक | 3 |
| 6- स्टैनो | 1 |
| 7- चपरासी/ अर्दली | 3 |
| 8- प्रोमैस सरवर | 3 |

लेखा विभाग

| | |
|-------------------|---|
| 1- एकाउन्ट आफिसर | 1 |
| 2- लेखाकार | 1 |
| 3- एकाउन्ट लिपिक | 2 |
| 4- कैशियर | 1 |
| 5- चपरासी/ अर्दली | 2 |

जनरल आफिस

| | |
|-------------------|---|
| 1- मुख्य लिपिक | 1 |
| 2- स्टैनो | 1 |
| 3- टंक & टाईपिस्ट | 1 |
| 4- लिपिक | 3 |
| 5- चपरासी | 2 |

- 6- विधी निरीक्षक |
- 7- विधी सहायक |
- 8- आफिस चौकीदार |
- 9- स्वीपर | जमादार |
- 10- माली |
- 11- डाईवर |
- 12- दफ्तरी |

आरबोरी कलचर विभाग

- 1- उधान निरीक्षक |
- 2- माली आदि आवश्यकता होने पर दैनिक वेतन भोगी कर्मचारी के रूप में भाती कर लिये जायें ।

सम्पत्ति विभाग

- 1- सम्पत्ति अधिकारी तहसीलदार प्रतिनिधुक्तिपर |
- 2- सहायक सम्पत्ति अधिकारी तहसीलदार प्रतिनिधुक्ति पर |
- 3- बरिडट राजस्व निरीक्षक 3
- 4- लेखापाल 6

केन्द्रीय संसाधन
के आबोरी में
समस्त नियुक्ति
के अग्रिम विचार
जाय ।

उक्त प्रस्ताव बनाकर शासन को तुरंत भेजा जायें।

विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि बरेड ग्राऊन्ड में बने भवन में तब तक विकास प्राधिकरण का कार्यालय रखा जाय जब तक उनका नया भवन न बन जाय। नये भवन के लिये तुरंत एक योजना तैयार की जाय। आई0डी0 एच0 की भूमि इसके लिये सर्वथा उपयुक्त बताई गई। निर्णय हुआ कि इसके लिये केन्द्रिय कार्यालय के रूप में प्रस्ताव बनाते हुये शासन से इसके लिये धान उपलब्ध कराने के लिये लिखा जाय ।

विकास प्राधिकरण कार्यालय का कार्य चलाने के लिये स्टेशनरी व फर्नीचर की आवश्यकता पर विचार-विमर्श हुआ। प्राधिकरण को बताया गया कि शासन से इस मद में अभी तक कोई धनराशि प्राप्त नहीं हुई है। केवल एक लाख रुपया स्टाफ के वेतन के मद में प्रति वर्ष, तीन वर्षों तक के लिये स्वीकार किया गया है, जो सर्वथा कम है। फर्नीचर व स्टेशनरी आदि के मद के लिये 50,000/- रु स्वीकार किया गया।

- 2- विकास प्राधिकरण के लिये बिल्डिंग बाईलाज व रेगुलेशन स्वीकार करने पर विचार ।

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के लिये भवन-विधि नियम एवं उपनियम स्वीकार करने का प्रस्ताव रखा गया। 30/0/00 शासन को

ओर से भावन नियम व उपनियम बनाने के लिये गठित समिति की संस्तुतियों के आधार पर तैयार की गई नियमावली। बिल्लिंग वार्डलाज फार कबाल सिटीज, सिटी बिद क्लाम फ्लैट म्यूनिसिपैलिटीज एन्ड रेगुलेटिड रेसिडेंस आण्ड उ०प्र० 1977 को अंगिकृत करने पर विचार-विमर्श हुआ। देहरादून व मसूरी पहाड़ी क्षेत्र होने के कारण इन नियमों/ उपनियमों को बिना संशोधन स्वीकार किया जाना उचित प्रतीत नहीं हुआ। अतः इनके संशोधनों के लिये एक उपसमिति बनाई गई जिसमें उपाध्यक्षा विकास प्राधिकरण, अधिाक्षा अभियन्ता सा०नि०बि०, नगर नियोजक, अधिाक्षा अभियन्ता आवास विकास परिषद व सचिव विकास प्राधिकरण होंगे। उक्त समिति दो माह के अन्दर अपनी संस्तुतियों सहित वार्डलाज विकास प्राधिकरण को स्वीकृती हेतु प्रस्तुत करें। नये नियम व उप नियम स्वीकृत होने तक विकास क्षेत्र में राजमुर से मसूरी तक व 2500 फुट से ऊपर ग्रामों में मसूरी नगर पालिका के संशोधित नियम/उपनियम लागू होंगे तथा शेष विकास क्षेत्र के लिये उ०प्र०कार्य विनियमन अधिनियम 1958 में दिये गये निर्देश व नियम-उपनियम लागू होंगे।

3- विकास प्राधिकरण में विभिन्न भावनों के नकशों के लिये शुल्क निर्धारित करने पर विचार।

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के लिये विभिन्न प्रकार के भावन मानचित्रों पर शुल्क निर्धारण के बारे में विचार-विमर्श किया गया। मानचित्रों के लिये निम्न शुल्क निर्धारित किया गया :-

| उपयोग | विवरण | शुल्क की दर |
|--------------|--|-------------|
| 1- निवस भावन | क। ऐसे भावन के लिये जिसकी सभी मंजिलों का आच्छादित क्षेत्र 100 वर्ग मीटर हो। | 50/- |
| | ख। इसके उपरान्त प्रत्येक 50 वर्ग मीटर के लिये | 50/- अति |
| 2- व्यवसायिक | क। ऐसे भावन के लिये जिसकी सभी मंजिलों का कुल आच्छादित क्षेत्र 100 वर्ग मीटर तक हो। | 500/- |
| | ख। इसके उपरान्त प्रति अति 50 वर्ग मीटर या उसके हिस्से के लिये | 250/- |
| 3- औद्योगिक | क। ऐसे भावन के लिये जिसकी सभी मंजिलों का कुल आच्छादित क्षेत्र 200 वर्ग मीटर हो। | 200/- |
| | ख। इसके उपरान्त प्रति 50 वर्ग मीटर या उसके हिस्से पर। | 50/- |

| | | |
|---|--|--------------------|
| 4- निवास एवं व्यवसायिक भवन | 1क। शुल्क का अवधारण मट 1 व 2 में स्थात दरों के अनुसार उन क्षेत्र के आधार पर किया जायेगा जिसका उपयोग दोनों प्रयोजनी में से किसी एक के लिये करने का विचार हो। | |
| 5- भवन जिसका उपयोग धार्मिक, शैक्षिक, आयुर्वेद प्रयोजनों के लिये किया जायेगा । | 1क। ऐसे भवनों के लिये जिसकी सभी मंजिलों का कुल आच्छादित क्षेत्र 100 वर्ग मीटर तक हो। 1ख। इससे अधिक पर | 20/- 30/- |
| 6- स्थल के विकास के लिये | 1क। विन्ध्याम लेआऊट 10 हेक्टेयर तक क्षेत्र के लिये 1ख। इसके उपरान्त प्रत्येक 5 हेक्टेयर या उसके हिस्से पर । | 500/- 200/- |
| 7- विकास प्राधिकरण में प्रार्थना पत्र के लिये शुल्क | शुल्क | 2/- |
| 8- प्रतिलिपि तथा प्रमाणित प्रतिलिपि के लिये शुल्क | 1क। यदि कोई व्यक्ति प्राधिकरण द्वारा स्वीकृत मानचित्र को मूल प्रतिलिपि चाहता है और उसके उसी के अनुसार मानचित्र प्रस्तुत करता है तो उसके प्रमाणित करने का शुल्क 1ख। हिन्दी, अंग्रेजी व उर्दू की नकल के लिये शुल्क प्रत्येक 100 शब्दों तक 1ग। अति 50 शब्द या उसके हिस्से पर 1घ। किसी भी नकल को अर्जेंट चाहने पर शुल्क उपरोक्त का दुगना होगा । | 10/- 2/- 1/- |

यह भी निर्णय लिया गया कि केन्द्र व राज्य सरकार के भवनों पर तथा गवर्नमेंट अन्डरटेकिंग व कारपोरेशन आदि से भी शौडुल के अनुसार ही शुल्क वसूल किया जाय। विचार-विमर्श के बाद यह भी निर्णय लिया गया कि इस संबंध में मेरठ, गाजियाबाद, लखनऊ आदि विकास प्राधिकरणों से भी जानकारी प्राप्त कर ली जाय तथा उक्त जानकारी व शुल्क की दरों से विकास प्राधिकरणों की अगली बैठक में प्राधिकरण को अवगत कराया जाय।

4- विकास प्राधिकरण में नक्शे बनाने के लिये आर्किटेक्ट/सर्वेयर/डाक्यूमेन्ट आदि को लाईसेंस दिये जाने की प्रक्रिया निर्धारण करने पर विचार ।

विकास प्राधिकरण के लिये मानचित्र आदि के लिये

आर्किटेक्ट, इंजिनियर, सर्वेयर व ड्राफ्ट्समैन के लिये लाईसेंस जारी किये जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। यह निर्णय लिया गया कि भावन नियम/उपनियमों की बुकलेट जो विकास प्राधिकरण के लिये स्वीकार की जानी है, उसमें दिये गये निर्देशों के अनुसार सभी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को यथानुसार लाईसेंस प्रदान कर दिये जाय। जो व्यक्ति कार्य अनुभव के आधार पर लाईसेंस दिये जाने की प्रार्थना करते हैं उनके लिये एक उपसमिति गठित की गई जिसमें सचिव, विकास प्राधिकरण, नगर निरीक्षक, अधिशासी अभियन्ता आवास एवं विकास परिषद तथा प्राधिकरण के अभियन्ता ॥ यदि कोई डो॥ होंगे तथा वे उनके प्रार्थना पत्रों पर विचार करेंगे तथा प्राधिकरण के अनुमोदन हेतु रिपोर्ट देंगे ।

5- विकास प्राधिकरण के लिये अनाधिकृत निर्माणों को समाधान करने के लिये शौडुल निर्धारित करने पर विचार ।

मुरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के लिये अनाधिकृत निर्माणों को समाधान करने के संबंध में शौडुल स्वीकार किये जाने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के बाद शौडुल स्वीकार किया गया जिसका विस्तृत विवरण अलग से दिया गया है ।

6- नियत प्राधिकारी कार्यालय से प्राप्त हुये भावन मानचित्रों पर कार्यवाही निर्धारित करने की प्रक्रिया पर विचार ।

नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र के कार्यालय से मानचित्रों की जो पत्रावलि प्राप्त हुई है, उन पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। विकास प्राधिकरण को बताया गया कि उक्त मानचित्र पत्रावलि की संख्या 1332 है और इनका रकमिशन शुल्क नियत प्राधिकारी द्वारा ही लिया गया है। निर्णय लिया गया कि इन मानचित्रों पर पुनः शुल्क न लिया जाय। इन मानचित्रों पर विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिए गये :-

- 1- नगर पालिका द्वारा टेक-ओवर की गई कालोनियों के मानचित्र, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पूर्व में निर्धारित विकास शुल्क 8/- 50 प्रति वर्ग मीटर भूखण्ड की दर से लेकर मानचित्र स्वीकृती की कार्यवाही की जाय।
- 2- ऐसे मानचित्र जो उन कालोनियों में पड़ते हैं जिनके ले आऊट स्वीकृत नहीं है किन्तु उनका भू उपयोग देहरादून महायोजना के अन्तर्गत आवासीय है, के बारे में एक उपसमिति का गठन किया गया, जो इन कालोनियों के ले-आऊट लेकर उनके अनियमित क्षेत्र का ले आऊट तैयार करेगी तथा भागणन के उपरान्त विकास शुल्क की दर निश्चित करेगी तथा वे अपनी रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करेगी। समिति के निम्न सदस्य होंगे:-

- 1- सचिव, विकास प्राधिकरण
- 2- नगर निरीक्षक

आर्किटेक्ट, इंजिनियर, सर्वेयर व ड्राफ्टमैन के लिये लाईसेंस जारी किये जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। यह निर्णय लिया गया कि भावन नियम/उपनियमों की बुकलेट जो विकास प्राधिकरण के लिये स्वीकार की जानी है, उसमें दिखे गये निर्देशों के अनुसार सभी योग्यता प्राप्त व्यक्तियों को यथानुसार लाईसेंस प्रदान कर दिये जाय। जो व्यक्ति कार्य अनुभवों के आधार पर लाईसेंस दिये जाने की प्रार्थना करते हैं उनके लिये एक उपसमिति गठित की गई जिसमें सचिव, विकास प्राधिकरण, नगर निरीक्षक, अधिशासी अभियन्ता आवास एवं विकास परिषद तथा प्राधिकरण के अभियन्ता ॥ यदि कोई हों ॥ होंगे तथा वे उनके प्रार्थना पत्रों पर विचार करेंगे तथा प्राधिकरण के अनुमोदन हेतु रिपोर्ट देंगे ।

5- विकास प्राधिकरण के लिये अनाधिकृत निर्माणों को समाधान करने के लिये शौडुल निर्धारित करने पर विचार ।

मुरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के लिये अनाधिकृत निर्माणों को समाधान करने के संबंध में शौडुल स्वीकार किये जाने पर विस्तृत विचार-विमर्श किया गया। विचार-विमर्श के बाद शौडुल स्वीकार किया गया जिसका विस्तृत विवरण अलग से दिया गया है ।

6- नियत प्राधिकारी कार्यालय से प्राप्त हुये भावन मानचित्रों पर कार्यवाही निर्धारित करने की प्रक्रिया पर विचार ।

नियत प्राधिकारी, विनिश्चित क्षेत्र के कार्यालय से मानचित्रों की जो पत्रावलि प्राप्त हुई है, उन पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। विकास प्राधिकरण को बताया गया कि उक्त मानचित्र पत्रावलि की संख्या 1332 है और इनका एडमिशन शुल्क नियत प्राधिकारी द्वारा ही लिया गया है। निर्णय लिया गया कि इन मानचित्रों पर पुनः शुल्क न लिया जाय। इन मानचित्रों पर विचार-विमर्श के उपरान्त निम्न निर्णय लिए गये :-

- 1- नगर पालिका द्वारा टेक-ओवर की गई कालोनियों के मानचित्र, नियंत्रक प्राधिकारी द्वारा पूर्व में निर्धारित विकास शुल्क 8/- 50 प्रति वर्ग मीटर भूखण्ड की दर से लेकर मानचित्र स्वीकृती की कार्यवाही की जाय।
- 2- ऐसे मानचित्र जो उन कालोनियों में पड़ते हैं जिनके ले आऊट स्वीकृत नहीं है किन्तु उनका भू उपयोग देहरादून महायोजना के अन्तर्गत आवासीय है, के बारे में एक उपसमिति का गठन किया गया, जो इन कालोनियों के ले-आऊट लेकर उनके अनिश्चित क्षेत्र का ले आऊट तैयार करेगी तथा आगणान के उपरान्त विकास शुल्क की दर निश्चित करेगी तथा वे अपनी रिपोर्ट प्राथमिकता के आधार पर प्रस्तुत करेगी। समिति के निम्न सदस्य होंगे:-

- 1- सचिव, विकास प्राधिकरण
- 2- नगर निरीक्षक

- 3- अधिशासी अभियन्ता, आवास विकास परिषद
 4- सहायक अभियन्ता, विकास प्राधिकरण यदि कोई हो।

- 3- उन कालोनियों के मानचित्र जिनका भूउपयोग भी देहरादून महायोजना से भिन्न है तथा उनके ले आऊट भी स्वीकृत नहीं है, के बारे में निर्णय लिया गया कि उनके ले आऊट लेकर गठित की गई उप समिति को उन पर विचार करे तथा महायोजना में समायोजित करने हेतु तथा विकास शुल्क की दर के बारे में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी, तब तक के लिये इन कालोनियों के मानचित्र भू उपयोग भिन्न होने के आधार पर अस्वीकृत कर दिये जायें।
- 4- ग्रामीण क्षेत्रों के ऐसे मानचित्र जो वर्तमान ग्रामीण आबादी के 100 मीटर तक की दूरी की सीमा में आते हैं नियमानुसार स्वीकार कर दिये जायें।
- 5- औद्योगिक मानचित्र के बारे में निर्णय लिया गया कि क्लिहाल वर्तमान इंडस्ट्रीयल एरिया पटेल नगर के ही मानचित्रों पर नियमानुसार जांच करके स्वीकृती प्रदान की जाय अन्य क्षेत्रों के मानचित्रों को अस्वीकृत कर दिया जाय। *कुवावाला क्षेत्र में जो अलग स्थापित हो चुके हैं, उनके मानचित्र स्वीकृत करने हेतु स्पष्ट जांचिंग करी जाय। //*
- 7- नियत प्राधिकारी कार्यालय से प्राप्त अनाधिकृत निर्माण के वादों पर कार्यवाही निर्धारित करने पर विचार।

नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, देहरादून के बडों से अनाधिकृत वादों के बारे में प्राप्त पत्रावलियों पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि उ०प्र०नगर योजना एवं विकास अधिनियम 1973 में दिये गये निर्देशों के अनुसार उन पर कार्यवाही की जाय। अधिनियम के अनुसार उपाध्यक्ष ने यह अधिकार सचिव विकास प्राधिकरण को दे दिये है। सचिव इन मामलों में नियमानुसार कार्यवाही करें।

- 8- मसूरी-देहरादून के लिये महायोजना तैयार करने पर विचार :

देहरादून विकास क्षेत्र के लिये एक महायोजना तैयार करने के बारे में विस्तृत रूप में विचार-विमर्श किया गया। देहरादून नगर की महायोजना जो नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग द्वारा तैयार की गई थी और जिस पर केन्द्रिय पर्यावरण विभाग द्वारा गठित बर्किंग ग्रुप की संस्तुतियाँ प्राप्त हो चुकी है, को ही वर्तमान में देहरादून की महायोजना को 'ग्राम महायोजना' के रूप में स्वीकार किया जाता है। निर्णय लिया गया कि शीघ्रता से महायोजना को अन्तिम रूप देकर विकास प्राधिकरण के अनुमोदनाधीन रक्खी जाय।

मसूरी नगर की महायोजना के बारे में बताया गया कि उक्त

योजना नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग के गढ़वाल मंडल सभागीय नियोजन
छान्ड द्वारा बनाया जाना आरंभ कर दिया गया है। विचार विमर्श के
बाद निर्णय लिया गया कि मसूरी व उसके आस पास के क्षेत्रों की महायोजना
वरिष्ठता के आधार पर तैयार किया जाय और उसे बैठक के अनुमोदनार्थ
रकखा जाय। *यह भी निर्णय लिया गया कि समूची जगहों पर
योजना के अन्तर्गत एक ही योजना बनाया जाय।*

9- नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र देहरादून को नियत प्राधिकारी के
आदेशों के विरुद्ध की गई अपीलों पर प्रक्रिया निर्धारण करने पर विचार।

नियत प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र, देहरादून के आदेशों के
विरुद्ध नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र देहरादून को कुछ अपीलें की गई
थी, जो उनके विचाराधीन है। विकास प्राधिकरण द्वारा विचार विमर्श
किया गया। निर्णय लिया गया कि उ०प्र० नगर योजना एवं विकास अधिनियम
1973 में दिये गये निर्देशों के अनुसार अधिकांश विकास प्राधिकरण नियंत्रक
प्राधिकारी के स्थान पर उनको सुनवाई करेंगे।

10- मसूरी नगर पालिका क्षेत्र से प्राप्त मानचित्रों की स्वीकृती के बारे में
प्रक्रिया निर्धारण पर विचार।

मसूरी नगर पालिका कार्यालय में लम्बित मानचित्र पत्रावलिओं पर
विचार-विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि उन मानचित्रों पर नगर
पालिका द्वारा लिया गया शुल्क मान्य रहेगा तथा उनकी जांच नगर पालिका
के वर्तमान नियमों/उपनियमों के अन्तर्गत की जायेगी। *यह भी निर्णय लिया गया कि मानचित्र*
विकास प्राधिकरण के देहरादून कार्यालय में जमा होंगे तथा उन पर विकास
प्राधिकरण की शुल्क ली जायेगी। यह भी निर्णय लिया गया कि लम्बित
मानचित्रों पर वन विभाग का अनापत्ति प्रमाण पत्र मांग लिया जाय। वन
विभाग से मसूरी क्षेत्र के संवेदनशील स्थानों के बारे में जानकारी मंगाई
जाय और भाविष्य में उनको दृष्टिगत रखाते हुये मसूरी के मानचित्रों पर
कार्यवाही की जाय करें। विकास प्राधिकरण के लिये नगर पालिका में कोई
स्थान दिये जाने के बारे में लिखा जाय।

11- विकास प्राधिकरण से प्राप्त होने वाली विभिन्न मदों की धनराशी
को जमा करने की प्रक्रिया व उसके खर्च करने की प्रक्रिया पर विचार।

विकास प्राधिकरण से विभिन्न मदों से प्राप्त होने वाली
धनराशी को जमा करने व खर्च करने की प्रक्रिया पर विचार किया गया।
विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्राप्त होने वाली

नजदीकी

धानराशी को नेशनल आईज बैंक की कितनी शाखा में जमा कराया जाये तथा छार्ज के लिये बजट बनाकर प्राधिकरण की स्वीकृती के उपरान्त निम्नलिखित नियमानुसार छार्ज किया जाय ।

12- वर्तमान स्थिती में बड़े भूखण्ड के सब-डिविजन किये जाने से उत्पन्न स्थिती पर विचार ।

देहरादून में बड़े भूखण्ड के सब डिविजन किये जाने के बारे में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया और इस संबंध में इस प्रकार के सब डिविजन से आने वाली कठिनाईयों पर विचार किया गया। विकास प्राधिकरण को बताया गया कि देहरादून के कुछ क्षेत्रों में पहले कम से कम पाँच बीघा भूमि पर भवन बनाये जाने का नियम था जो श्रीलिंग एक्ट के अनुसार अब 2000 वर्ग मीटर रह गया है। उन क्षेत्रों में बराबर छोटे छोटे प्लॉट काटे जा रहे हैं जिससे उन्हें विकसित करने व ड्रेनेज आदि की कठिनाई उत्पन्न हो गई है। निर्णय लिया गया कि जनसाधारण को सूचित किया जाय कि ऐसे क्षेत्रों में बिना स्वीकृत ले-आऊट के, किये गये सब-डिविजन के प्लॉट न खारीदे, यदि कोई व्यक्ति सब-डिविजन किये गये ऐसे प्लॉट का मानचित्र स्वीकृती हेतु प्रस्तुत करता है तो जाँच अधिकारी उसके सब-डिविजन के ले-आऊट की जाँच करेंगे। ऐसे क्षेत्रों में 200 वर्ग गज तक के ही प्लॉट स्वीकृत ले-आऊट के बाद ही मान्य होंगे। यदि कोई दुर्बल वर्ग के लिये प्लॉट बनाता है तो उसे 100 वर्ग गज के लिये मान्य होंगे किन्तु इसके लिये उन्हें जिलाधिकारी से दुर्बल आय वर्ग का प्रमाण पत्र प्राप्त करना होगा।

13- जनसाधारण को व विकास क्षेत्र में बसने वाले सभी ग्रामों को विकास प्राधिकरण के गठन के बारे में जानकारी देने व उसके कार्यकलापों के बारे में जानकारी देने पर विचार ।

विकास क्षेत्र की सीमा में आने वाले ग्रामों तथा जनसाधारण को विकास प्राधिकरण के गठन की सूचना दिये जाने के संबंध में विचार विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से तथा मुख्य-मुख्य स्थानों पर बोर्डें लगवाकर इसकी जानकारी दी जाय। ग्राम प्रधानों को इस संबंध में परिपत्र भेजे जाँच तथा उनसे यह जानकारी दी जाय कि ग्रामीण क्षेत्रों में बसने वाले भावनों की स्वीकृती अब विकास प्राधिकरण से ले ली जाये करेगी। ग्राम समाज की भूमि जो विकास प्राधिकरण क्षेत्र में है, को प्राधिकरण द्वारा लेने की कार्रवाई की जाय ।

14- शहर के निर्मित क्षेत्र के नक्शों पर बैटर मैन्ट चार्ज तथा अर्धविकसित व अविकसित क्षेत्रों के लिये विकास शुल्क तय किये जाने की प्रक्रिया पर विचार ।

निर्मित क्षेत्र के नक्शों पर बैटरमैन्ट चार्ज तथा अर्धविकसित व अविकसित क्षेत्रों के लिये विकास शुल्क तय करने की प्रक्रिया पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि वर्तमान में लम्बित मानचित्रों के बारे में जो कमेटी गठित की गई है वही कमेटी इन दोनों पर भी विचार करेगी। विकास शुल्क व बैटरमैन्ट चार्ज दोनों के बारे में अन्वय विकास प्राधिकरण से जानकारी प्राप्त की जाय तथा उसे कमेटी अपनी संस्तुतियों के साथ आगामी बैठक में प्रस्तुत करे ।

15- अनाधिकृत निर्माण व अनाधिकृत प्लॉट काटकर बेचने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने की प्रक्रिया पर विचार ।

अनाधिकृत प्लॉटकाटकर बेचने की प्रवृत्ति तथा अनाधिकृत निर्माण करने की प्रवृत्ति को हतोत्साहित करने के बारे में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस संबंध में प्रचार माध्यम के द्वारा इसे हतोत्साहित किया जाय तथा जनसाधारण को ऐसे क्षेत्रों में प्लॉट लेने से आगाह किया जाय, जो अनाधिकृत रूप से काटे जा रहे हैं। अवैध निर्माण को रोकने के लिये उन्हें बिजली व पानी ^{7/4/210} न दिये जाने के लिये संबंधित विभागों को लिखा जाय ।

16- विकास क्षेत्र की सीमा में लीची के पेड़ काटने व हरे पेड़ काटने पर रोक लगा दिये जाने पर विचार ।

विकास क्षेत्र की सीमा में हरे पेड़ व लीची आदि प्रत्येक प्रकार के पेड़ काटने आदि पर रोक लगा दिये जाने पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। प्राधिकरण को बताया गया कि इस समय देहरादून नगर में किसी भी प्रकार के पेड़ काटने पर कोई रोक नहीं है। निर्णय लिया गया कि विकास क्षेत्र के सौंदर्य को बनाये रखने के लिये इस प्रकार के पेड़ काटने के लिये डी-पुंशन एक्ट के अन्तर्गत रोक लगा दिये जाने के बारे में विकास प्राधिकरण की ओर से एक प्रस्ताव शासन को भेजा जाय। वन विभाग भी अपनी राय इस संबंध में देगे तथा अपने स्तर पर भी इस संबंध में कार्यवाही करेंगे।

17- देहरादून नगर व मसूरी को नये सिरे से सौंदर्य प्रदान करने के बारे में दिशा निर्देशक सिद्धान्त तैयार करने तथा नजूल भूमि, ग्राम समाज की भूमि व सी लिंग विभाग द्वारा अति० घोषित भूमि पर कर्मशायल व सौंदर्यकरण की योजना बनाने पर विचार ।

देहरादून नगर व मसूरी को नये सिरे से सौंदर्यकरण प्रदान करने के बारे में स्कीमे बनाये जाने पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श हुआ कि या गया। निर्णय लिया गया कि इस संबंध में स्कीमे बनाने हेतु एक कमेटी का गठन किया गया जिसमें उपाध्यक्ष विकास प्राधिकरण, गढ़वाल मंडल विकास निगम, पर्यटन विभाग, नगर नियोजक, वन विभाग, प्रवाहरण विभाग, परगनाधिकारी मसूरी इसके सदस्य होंगे। सचिव विकास प्राधिकरण इस समिति के संयोजक होंगे। समिति ऐसे क्षेत्रों का पता लगायेगी जो विकास क्षेत्र को सौंदर्य प्रदान करने के लिये उचित हो और उनकी स्कीमे भी तैयार कराये। *इस सम्बन्ध में जोधपुरा की स्कीमे भी तैयार की जाये।*

18- विकास प्राधिकरण के लिये गृह निर्माण योजना व अन्य आय श्रोतों की योजना बनाने की प्रक्रिया पर विचार ।

विकास प्राधिकरण के लिये गृह निर्माण योजना व अन्य योजनाये जिससे प्राधिकरण की आय श्रोत बढ़ सके बनाये जाने पर विचार विमर्श किया गया। गृह निर्माण योजना के अलावा चार अन्य प्रस्ताव योजनाये बनाने हेतु भी रखे गये। इनमें बवेलियन ग्राउन्ड के सामने तिब्बती मार्केट के स्थान पर शॉपिंग कम्प्लेक्स एवं व्यवसायिक केन्द्र बनाने का प्रस्ताव, राजपुर रोड पर नजूल भूखण्ड पर गृह निर्माण कालोनी बनाने का प्रस्ताव, गांधी रोड पर तिकोने भूखण्ड पर व्यवसायिक योजना बनाने का प्रस्ताव, तथा आई०डी०एच०के खण्डर भावन पर प्राधिकरण का कार्यालय व अन्य केन्द्रिय कार्यालय बनाने का प्रस्ताव भी रखा गया। निर्णय लिया गया कि गृह निर्माण योजना के साथ-साथ इन चारों प्रस्तावों की नियमानुसार स्कीमे बनाई जाय तथा उसे स्वीकृती हेतु प्राधिकरण के सामने प्रस्तुत किया जाय ।

19- देहरादून नगर के लिये ड्रेनेज महायोजना तैयार करने पर विचार ।

देहरादून नगर के लिये ड्रेनेज महायोजना तैयार करने के बारे में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। प्राधिकरण को बताया गया कि शहर छोटे छोटे प्लाटी में बट जाने के कारण व सही ड्रेनेज न होने के कारण इस प्रकार जगह जगह वाटर लोडिंग की समस्या उत्पन्न हो गई है ।

जिसमें एक ड्रेनेज महायोजना की आवश्यकता महसूस हो रही है। विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि नगर पालिका इस प्रकार की महायोजना तैयार कराने के लिये जल निगम को लिखे तथा तब तक स्वीकृत किये जाने वाले मानचित्रों पर छिद्र छोड़ने का प्रतिबन्ध अवश्य लगाया जाय तथा इस संबंध में मसूरी देहरादून विकास प्राधिकरण तुरंत अपने निमम बनाये।

20- कालोनाईजर्स की वर्तमान एकट एन्ड सीलिंग एकट के अन्तर्गत स्थिती पर विचार।

विकास क्षेत्र के अन्तर्गत कालोनाईजर्स की वर्तमान स्थिती पर विचार विमर्श किया गया। वर्तमान एकट में व सीलिंग एकट के अन्तर्गत कालोनाईजर्स को कोलोनाईजिंग की अनुमति नहीं है, जिसके कारण अनाधिकृत रूप से बिना विकास किये कालोनाईजेशन हो रहा है। कालोनाईजर्स को भी यदि समुचित विकास करने का अवसर दिया जा सके तो उचित होगा। निर्णय लिया गया कि इस संबंध में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक कक्ष से परामर्श किया जाय कि किस प्रकार उक्त अधिनियम के अन्तर्गत कालोनाईजेशन संभव है। जानकारी अगली बैठक में प्राधिकरण के समक्ष विचारार्थ प्रस्तुत की जाय।

21- ग्रामीण आबादी के चारों ओर निर्माण की स्वीकृती दिये जाने की दूरी निर्धारित करने पर विचार।

वर्तमान ग्रामीण आबादी के चारों ओर निर्माण की स्वीकृती दिये जाने के संबंध में दूरी तब करने के बारे में विचार किया गया। प्राधिकरण को बताया गया कि नियंत्रक प्राधिकारी, विनियमित क्षेत्र देहरादून द्वारा अपनी बैठक दिनांक 26-10-84 में इस दूरी को 100 मीटर रखाने का निर्णय लिया गया था। इस संदर्भ में मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक द्वारा एक पत्र लिखा गया था जिसमें इस दूरी को 50 मीटर रखाने की बात कही गई थी। निर्णय लिया गया कि उक्त दूरी 100 मीटर ही रखी जाय।

22- ट्रासपोर्ट नगर बनाने तथा उसके लिये महायोजना में स्थान निर्दिष्ट करने पर विचार।

देहरादून नगर के लिये एक ट्रासपोर्ट नगर बनाने के बारे में तथा इसका स्थान महायोजना में निर्दिष्ट करने पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि महारनपुर रोड पर मंडी के पास ही ट्रासपोर्ट नगर के लिये स्थान निर्धारित किया जाय तथा इसकी स्कीम बनाकर प्रस्ताव प्राधिकरण के समक्ष प्रस्तुत किया जाय।

23- सी 08 ब्लू 0डी द्वारा देहरादून के प्रस्तावित बाईपास बनाने एवं उसके एलाइमेंट पर विचार।

देहरादून नगर के लिये सा०नि०वि० द्वारा बनाये जा रहे प्रस्तावित बाईपास के बारे में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। प्राधिकरण को बताया गया कि उक्त बाईपास 5 कि०मी० तक बनाने की स्कीम है। शेष मार्ग के लिये धान उपलब्ध नहीं है। सा०नि०वि०के प्रतिनिधी सदस्य द्वारा इसका ब्योरा दिया गया। विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि महायोजना में दिखाये गये बाईपास की जानकारी नगर एवं ग्राम नियोजन विभाग, सा०नि०वि०को भोगे तथा वे इसे चकराता रोड तक मिलाने के लिये अपनी स्कीम में सम्मिलित करेगे। विकास प्राधिकरण ने देहरादून बाईपास को शीघ्र बनाने की आवश्यकता पर बल दिया तथा विभागों को इस योजना में समन्वय रखाने के निर्देश दिए।

24- स्टेट होटल मैनेजमेंट एन्ड कैंटरिंग संस्थान के होटल निर्माण हेतु भू-प्रयोग बदलने के प्रार्थना पत्र पर विचार।

स्टेट होटल मैनेजमेंट एन्ड कैंटरिंग संस्थान ~~एक~~ होटल बनाने हेतु अपने वर्तमान स्थल का भू प्रयोग बदलने हेतु तथा उसका एक०ए०आर० बदलने हेतु प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर विचार विमर्श किया गया। विकास प्राधिकरण को बताया गया कि उनका प्रस्तावित निर्माण स्थल औद्योगिक क्षेत्र में है जिसका एक०ए०आर० फ्लिहाल 45 है। विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि भू प्रयोग बदलकर प्रस्तावित निर्माण की स्वीकृती प्रदान की जाय। इसे तदनुसार महायोजना में दिखा दिया जाय। एक०ए०आर० के लिये इसे मुख्य नगर एवं ग्राम नियोजक को भोग दिया जाय।

25- आई०ओ०सी०के पेट्रोल पम्प के लिये स्थान निर्धारित करने के प्रार्थना पत्र पर विचार।

आई०ओ०सी०द्वारा पेट्रोल पम्प लगाने के लिये देहरादून में परेड ग्राऊन्ड के किनारे, राजपुर रोड पर बालिका सीमा के भीतर अथावा राजपुर रोड पर ही सर्वे चौक के आस पास भूमि उपलब्ध कराने के बारे में दिये गये प्रार्थना पत्र पर विचार विमर्श किया गया। प्राधिकरण को बताया गया कि तीनों ही स्थानों पर कोई भूमि उपलब्ध नहीं है। विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित ट्रांसपोर्ट नगर में व. सहारनपुर रोड पर किसी उपयुक्त स्थल पर भाविष्य में भूखान्ड दिया जाना उचित होगा।

26- श्री के०सी०रमोला के भवन मानचित्र पर विचार।

श्री के०सी०रमोला के मानचित्र स्वीकृत न होने के संबंध में दिये गये प्रार्थना पत्र पर विचार किया गया। प्राधिकरण को बताया गया

कि श्री रमोला का मानचित्र कृषि भूखण्ड मानकर नियत प्राधिकारी द्वारा अस्वीकृत किया गया था। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के अन्व बहुत से मानचित्रों पर मद सं० 6 में निर्णय लिया जा चुका है अतः उसी निर्णय के संदर्भ में श्री रमोला के मानचित्र पर विचार किया जाय।

27- डा० योगी एरन के हास्पिटल के मानचित्र पर विचार :-

डा० योगी एरन के हास्पिटल के मानचित्र जिसे नियत प्राधिकारी देहरादून द्वारा कृषि भू उपयोग में इनका निर्माण स्थल होने के कारण अस्वीकृत कर दिया गया था, पर विचार विमर्श किया गया। प्राधिकरण को बताया गया कि उक्त आदेश के विरुद्ध डा० एरन की अपील नियंत्रक प्राधिकारी के विचाराधीन है। इस संबंध में प्राधिकरण को बताया गया कि कृषि भूमि में अस्पताल के निर्माण प्राधिकरण के द्वारा स्वीकृत किया जा सकते हैं। विचार-विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि प्रस्तावित अस्पताल का निर्माण नियमानुसार जाँच कर स्वीकृत कर दिया जाय।

28- श्री एम०एस०रावत अजवपुर के मानचित्र पर विचार ।

श्री रावत के मानचित्र पर जिसे नियत प्राधिकारी द्वारा कृषि भूमि मानकर अस्वीकृत किया गया था, पर विचार विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि इस प्रकार के अन्व बहुत से मानचित्रों पर विवेक विषय सं० 6 में लिये गये निर्णय के परिपेक्ष में, इस मानचित्र पर भी विचार किया जाय।

29- श्री मति राम चमेली, ई०सी०रोड के मानचित्र पर विचार ।

श्री मति रामचमेली के आवासीय भवन मानचित्र पर विचार किया गया। निर्णय लिया गया कि विषय सं० 6 में लिये गये निर्णयों के परिपेक्ष में इस पर कार्यवाही की जाय।

30- मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण के स्थान पर इसका नाम देहरादून मसूरी विकास प्राधिकरण रखाने पर विचार :-

विकास प्राधिकरण का नाम मसूरी-देहरादून के स्थान पर, देहरादून-मसूरी विकास प्राधिकरण रखाने के प्रस्ताव पर विचार विमर्श किया गया। प्राधिकरण को बताया गया कि देहरादून जिला मुख्यालय है व प्राधिकरण का कार्यालय भी देहरादून में ही स्थित रहेगा। दूसरे ओरजि में

इस प्रदान अक्षर लेकर बालन म इसका नाम डा 0एम0डा 0ए0 काका ~~प्रकार~~ व अच्छा लगता है। विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि शासन को प्रस्ताव भोज कर इसका नाम देहरादून-मसूरी विकास प्राधिकरण रखाने की प्रार्थना की जाय।

31- नियत प्राधिकारी द्वारा स्वीकृत मानचित्रों की अवधि समाप्ती हेतु नवीनीकरण करने के प्रार्थना पत्रों पर प्रक्रिया निर्धारित की करने पर विचार।

नियत प्राधिकारी, विनिवधित क्षेत्र देहरादून द्वारा स्वीकृत किये गये मानचित्रों पर जिनकी अवधि तीन वर्षों के उपरान्त समाप्त हो गई है, पर आगे नवीनीकरण प्रदान करने पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि अवधि बढ़ाने के प्रार्थना पत्रों पर कोई विचार न किया जाय। और उन मानचित्रों पर जिनकी अवधि समाप्त हो गई है अवधि न बढ़ाई जाय।

नगर प्रांतिका मसूरी द्वारा पूर्व में स्वीकृत मानचित्रों जिनकी अवधि समाप्त हो रही है पर भी कोई अवधि न बढ़ाई जाय।

32- मैसर्स मोहन प्रोडक्ट्स के औद्योगिक मानचित्र पर विचार

मैसर्स मोहन प्रोडक्ट्स के औद्योगिक मानचित्र पर विचार विमर्श किया गया। प्राधिकरण को बताया गया कि इनका निर्माण स्थल मौजूदा इंडस्ट्रीयल एरिया बटेल नगर में स्थित है। विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि चूंकि प्रस्तावित मानचित्र मौजूदा इंडस्ट्रीयल एरिया में आता है, निश्चयानुसार जांच के बाद, यदि उद्योग प्रदूषण रहित है, इस पर स्वीकृति प्रदान कर दी जाय।

अधिका महोदय की अनुमति से

1- राधपुर मार्ग पर चल रही चूना भाट्टियों जिनके स्थान पर देहरादून महोद्योगना में आवासीय स्थान बसाया गया है, को बन्द करने के संबंध में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। विचार विमर्श के बाद निर्णय लिया गया कि उन पर कड़ी नजर रखी जाय तथा किसी भी चूना भाट्टी में परिवर्तन या परिवर्धन किया जाता है तो इनको तुरंत रोका जाय तथा 30 का

रुबान्त्य. 9 Nov. 2011 के निर्णयानुसार किया जाय। यदि जो जन्म अनुसार रहे हुए विपन्न बालन

2- पर्यावरण दूषित करने वाले औद्योगिक संस्थानों जिनमें 50 आर0सी0सिमेंट फैक्ट्री भी हैं, के बारे में, प्रदूषण को नियंत्रण करने हेतु विचार विमर्श किया गया। प्राधिकरण को बताया गया कि 50 आर0सी0सिमेंट फैक्ट्री में संयंत्र लगाने का आश्वासन दिया था किन्तु उन्होंने इस आश्वासन का पालन नहीं किया। विचार विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इसे तुरंत रोका जाय और प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड को अभियोजन दावर करने के लिये लिखा जाय।

- 3- विकास क्षेत्र के अन्तर्गत उत्खानून बघुना पत्थार निकालने की अनुमति वैधानिक रूप से विकास प्राधिकरण से लिये जाने के संबंध में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। प्राधिकरण को बताया गया कि विकास क्षेत्र में उत्खानून आदि के लिये विकास प्राधिकरण से भी स्वीकृति लिया जाना आवश्यक होगा। विचार, विमर्श के उपरान्त निर्णय लिया गया कि इस संबंध में ~~सर्वेक्षण से जानकारी प्राप्त की जाय~~ ^{जहाँ से सर्वेक्षण प्रकार} तथा जानकारी अपनी बैठक में विकास प्राधिकरण के समक्ष रखी जाय।
- 4- मसूरी नगर पालिका क्षेत्र में बन रही बहुमंजिली इमारतों के बारे में विकास प्राधिकरण को ~~सूचना दी गयी~~ ^{सूचना दी गयी}। विकास प्राधिकरण को यह भी बताया गया कि उन पर उ०प्र०शासन द्वारा नगर पालिका अधिनियम के अन्तर्गत रोक लगा दी है। किन्तु गढवाल मंडल विकास निगम द्वारा आवास गृह व कुछ व्यवसायिक केन्द्रों का निर्माण अभी भी किया जा रहा है। विकास प्राधिकरण को बताया गया कि इससे अन्य व्यक्ति भी लाभ उठा सकते हैं। इस संबंध में विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया निर्णय लिया गया कि चार मंजिल से अधिक बने वाले भावनों पर तुरंत रोक लगा दी जाय। केवल चार मंजिल तक ही अनुमति प्रदान की जाय।
- 5- देहरादून नगर में कुछ सरकारी व अधिसरकारी कार्यालयों द्वारा अपने भावनों व बहुमंजिले भावनों को ~~बना स्वीकृति बनाये जाने के बारे में~~ ^{बना स्वीकृति बनाये जाने के बारे में} भी विकास प्राधिकरण को ~~सूचना दी गयी~~ ^{सूचना दी गयी}। इस विषय पर विस्तृत रूप से विचार विमर्श किया गया। निर्णय लिया गया कि ऐसे सभी विभागों को तथा ओ०एन०जी०सी०, सर्वे आर्क इंडिया, आई०आई०पी आदि को इस संबंध में एक परिपत्र भेज दिया जाय कि वे अपने बन रहे वका निर्माणों के लिये विकास प्राधिकरण से स्वीकृति प्राप्त करें और भाविष्य में जो भी निर्माण प्रारंभ करें उसके लिये पूर्व में स्वीकृति लिया करें।

[Handwritten Signature]

। देवीदयाल ।

अध्यक्ष

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण/
आयुक्त गढवाल मंडल, षौडी

प्रति की गई।


[Handwritten Signature]


28.2.85

अध्यक्ष

अध्यक्ष,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण,
देहरादून ।
- - - - -

मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण की दिनांक 17-12-84
को सम्पन्न हुई बैठक के मद्द संख्या 5 में विकास प्राधिकरण के लिये
कम्पाउन्डिंग शैड्यूल स्वीकार किया गया है। शैड्यूल की प्रति आपके
हस्ताक्षर हेतु संलग्न कर भोजी जा रही है ।


सचिव,
मसूरी-देहरादून विकास प्राधिकरण
देहरादून ।


17/1/85

SCHEDULE OF COMPOUNDING FEES TO BE CHARGED FOR UNAUTHORISED CONSTRUCTION FOR MUSSOORIE- DEHRADUN DEVELOPMENT AUTHORITY DEHRADUN.

General

1. Mussoorie- Dehradun Development Authority Dehradun can refuse to compound any case of unauthorised construction.
2. The following category of unauthorised construction shall not be compounded.
 - (a) Any construction not in confirmment of the land use proposals contained in the Master Plan of the area.
 - (b) On Government or public land.
 - (c) On the first floor of constructions with in the prescribed side and area rear set back which have been compounded earlier.
 - (d) Projection on public and Government land shall not be compounded.

DEFINITIONS

APPLIED: Applied means applied on the prescribed form, to the Mussoorie- Dehradun Development Authority, in the prescribed manner supplying all the information required.

COMPOUNDING FEE

| Type of Unauthorised construction. | Catagory -1 Not applied. |
|---|--|
| <hr/> | |
| 1. Construction against Byelaws & Regulations. | |
| (a) Construction with in the front set back. | Will not be compounded. |
| (b) Construction with in side set back. | Rs. 25/- per sq.ft.s.area constructed with a minimum charges of Rs. 2000/- |
| Rear set back | Rs. 20/-per sq.ft.s.of the area constructed with a minimum of Rs. 1500/- |
| 2.(a) If the plot coverage is more than the prescribed coverage. | Rs. 15/-per sq.ft.of the area exceeding the prescribed limit |
| (b) If the FAR is more than the prescribed limits. | Up to 10% Rs.20/-per sq.ft. Up to 20% Rs. 40/- per sq.ft. |
| ✓ (c) Exceeding more than 20% | Shall not be compounded. |
| 3. If the clear height in side the room is less than the prescribed height. | Rs. 12/-per sq.ft.of the area of the room. |